आइटीआर भरने की मार्गदर्शिका (वित्तीय वर्ष 2019-20; आकलन वर्ष 2010-21)

रचयिता - श्री आर ए मंजूनाथ प्रसाद, एआइएसीइ , बेंगालुरू
अनुवाद - डा. विनय कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, केंद्रीय एआइएसीइ

60 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति, जिनकी कुल वार्षिक आय रु. 2,50,000 से अधिक है उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के लिए यह सीमा रु। 3,00,000 है और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए यह सीमा रु. 5,00,000 है। यदि आप स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती का रिफंड चाहते हैं तो आईटीआर फाइलिंग अनिवार्य है। पिछले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि चालू वर्ष की 31 जुलाई है। अगर आईटीआर दायर नहीं किया जाता है या अंतिम तिथि के बाद दायर किया जाता है तो रू. 10,000 तक का जुर्माना देय होगा। इसके अलावा आप मूल रिटर्न में किसी भी गलती को सुधारने के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते।

वित्तीय वर्ष: यह 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 कैलेंडर महीनों की अवधि है, जिसके दौरान आप आय अर्जित करते हैं और उस पर कर का भुगतान करते हैं। वित्त वर्ष 2019-2020 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक होगा। इसे पिछला वर्ष भी कहा जाता है।

आकलन वर्ष: यह 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 कैलेंडर महीनों की अवधि है, जिस दौरान पिछले वर्ष की आपकी आय का आकलन किया जाता है। पिछले वर्ष के दौरान आय, वित्त वर्ष 2019-2020 का आकलन वर्ष 2020-2021 के दौरान किया जाएगा।

एडवांस टैक्स: अगर आपकी सैलरी से अलग अन्य स्रोतों से आय होती है और सैलरी से टीडीएस पर विचार करने के बाद आपकी टैक्स देनदारी रु. 1,0000 से अधिक है, तो आपको 3 किस्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा, जो विगत वर्ष के 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को देय होने हैं।

सेल्फ-असेसमेंट टैक्स: यदि टीडीएस और एडवांस टैक्स पर विचार करने के बाद कोई शेष कर देय है, तो आप आईटीआर दाखिल करने से पहले चालान आईटीएनएस 280 के माध्यम से स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करें ।

आईटीआर को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक है।अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले आपको इस वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया

1. अपना पैन कार्ड संभाल कर रखें
2. वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाएं और 'रजिस्टर योरसेल्फ' पर क्लिक करें।
3. व्यक्ति के रूप में उपयोगकर्ता प्रकार का चयन करें और आवश्यक विवरण भरना जारी रखें।
4. एक पासवर्ड बनाएं और इसे सुरक्षित रूप से नोट करें। आपका पैन लॉगिन आईडी होगी।
5. ओटीपी मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा और ई-मेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा। पंजीकरण पूरा करने के लिए लिंक पर क्लिक करें और ओटीपी डालें।
6. अब आप पैन और पासवर्ड के साथ ई-फाइलिंग रिटर्न पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
7. एक बार पंजीकृत होने के बाद, आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं।

आधार को पैन से जोड़ना

आधार को लिंक करना पैन के साथ अनिवार्य बना दिया गया है और इस वर्ष इसे लिंक करने के लिए अंतिम तिथि को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। यदि आपका आधार पैन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो लॉगिन ई-रिटर्न दाखिल करने के लिए पोर्टल पर जा कर 'प्रोफ़ाइल सेटिंग' का चयन करें और 'लिंक आधार' के विकल्प पर क्लिक करें ।

आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को तैयार रखने से प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यहां निम्नलिखित विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

i. **फार्म -16:** यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को जारी किए गए वेतन और स्रोत पर टैक्स कटौती का विवरण देता है।

ii. **FORM-16A:** यह नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि और टीडीएस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी कर का प्रमाण पत्र है ।

iii. **फार्म -16 B:** यदि आपने कोई संपत्ति बेची है, तो खरीदार फॉर्म -16 B जारी करेगा।

iv. **FORM-16C:** यदि आप किराये की आय अर्जित कर रहे हैं, तो आपको अपने किरायेदार से फॉर्म -16 C लेना होगा। वर्तमान में यदि किराया प्रति माह रु 50000 से अधिक हो तो टीडीएस कटौती योग्य है।

v. **FORM-26AS:** यह आपको भुगतान की गई राशियों का समेकित विवरण और आपके पैन के संदर्भ मे जमा टीडीएस का विवरण है। इसे TRACES वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अपने ई-फाइलिंग अकाउंट में प्रवेश करने के बाद, 'माई अकाउंट' टैब के तहत '26 एएस (टैक्स क्रेडिट) देखें' पर क्लिक करें।

vi. गृह ऋण का विवरण (स्टेटमेंट) एवं ब्याज व चुकौती का अन्तरिम प्रमाण पत्र

vii. **पूंजीगत लाभ:** वर्ष के दौरान बेचे गए संपत्तियों की खरीद विलेख (Saledeed) और बिक्री विलेख (Purchase deed)

viii. बैंक पासबुक

ix. आधार कार्ड

x. टैक्स बचत निवेश का विवरण

आईटीआर फार्म भरना

भाग – क

साधारण जानकारियाँ (General Information)

इस फार्म में 5 वर्कशीट अलग-अलग नाम से होती है. पहले वर्कशीट से ही आपको सभी सूचना देनी होगी. व्यक्तिगत विवरण खुद आ जायेगा. उसके बाद सारा विवरण आपको देना होगा. सबसे पहले दिशा-निर्देश पढ़ें आईटीआर भरने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें. जनरल इंफोर्मेशन वाले पेज पर आपका नाम, आधार, पता जैसी स्थायी जानकारी पहले से ही भरी मिलेंगी. अगर आपने पहले टैक्स नहीं भरा है तो इस फॉर्म को भरना होगा.

सभी जानकारी देने के बाद अगले टैब 'आमदनी की जानकारी' पर क्लिक करें।

भाग – ख

सकल कुल आय (Gross Total Income)

1. **वेतन / पेंशन से आय : सकल वेतन (Gross Salary) -** (धारा 17(1) मे प्राप्त वेतन / पेंशन, 17(2) में प्राप्त परिलब्धियों (perquisites) का मूल्य, 17(3) वेतन के बदले लाभ)
   i. **शुद्ध वेतन (Net Salary) –** सकल वेतन में से धारा 10 में प्राप्त छूट घटाने पर प्राप्त अंतर
   ii. **धारा 16 के अंतर्गत कटौतियाँ**
      V(i) के अधीन मानक कटौती – रु. 50000
      V(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता – केवल राज्य व केन्द्र सरकार के कर्मियों हेतु

V(iii) के अधीन दिया हुआ वृत्तिक कर (Professional Tax)

Iv **वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (Income chargeable under the Head 'Salaries')-**
यह गणना शुद्ध वेतन व धारा 16 के अधीन कटौतियों के अंतर से प्राप्त मूल्य से होगी

2. **गृह सम्पत्ति (हाउस प्रॉपर्टी) से आय**
   i. हाउस प्रॉपर्टी का सकल वार्षिक मूल्य (GAV) निम्नलिखित में से जो अधिकतम हो:-
   उचित बाजार मूल्य (समान संपत्ति के लिए अपेक्षित किराया)
   नगरपालिकामूल्यांकन वास्तविक
   प्राप्त किराया
   ii. भुगतान किए गए नगर निगम के करों को जीएवी से कटौती करके शुद्ध वार्षिक मूल्य (एनएवी) की गणना करें। निजी-कब्जे वाली संपत्ति के मामले में, एनएवी शून्य होगा और कोई मानक कटौती स्वीकार्य नहीं होगा।
   iii. हाउस प्रॉपर्टी के शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन।
   iv. आवास ऋण पर ब्याज जो कि स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए रु. 200000 तक सीमित है
   v. गृह सम्पत्ति (हाउस प्रॉपर्टि) से लाभ / हानि = एनएवी - मानक कटौती - ब्याज। (गृह सम्पत्ति से होने वाले नुकसान को नियमित आय मे समायोजित किया जा सकता है।)
3. **अन्य स्रोत (ब्याज, पारिवारिक पेंशन, लॉटरी, लाभांश आदि) से प्राप्त आय जिसमे कैपिटल गेन्स (शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों) में निर्दिष्ट दरों पर कर योग्य आय शामिल है।**
   इस आय से निम्नलिखित राशि कम करें :-
   घटायें : धारा 57(iiक) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)
   कम करें : धारा 57(iv) के अधीन कटौती[धारा 56(2)(viii) के अधीन प्राप्त ब्याज की दशा में]
4. **सकल कुल आय (Gross Total Income)**
   सकल कुल आय की गणना के लिए **उपरोक्त** तीनों 1, 2 व 3 को जोड़ दें।
   नोट – सकल कुल आय की गणना मे निम्नलिखित मदों को छूट मिली हुई है :-
   a. 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी
   b. 3 लाख रुपये तक का अर्जित अवकाश नकदीकरण
   c. रु. 5 लाख तक की वीआरएस राशि
   d. अन्य निर्दिष्ट अनुलाभ

भाग – ग

कटौतियाँ व कराधेय कुल आय (Deductions and Taxable Total Income)

1. **चैप्टर-VIA के अन्तर्गत कटौतियाँ**

   A. **अन्य भुगतानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित भुगतान, धारा 80 सी, 80 सीसीसी और 80 सीसीडी (1) के तहत रु .50000 तक की एकमुश्त कटौती के योग्य हैं।**

   i. स्वयं, जीवनसाथी और बच्चों के लिए जीवन बीमा प्रीमियम
   ii. कर्मचारी भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि
   iii. आवास ऋण का पुनर्भुगतान
   iv. बच्चों की शिक्षा के लिए शुल्क का भुगतान
   v. राष्ट्रीय बचत पत्र
   vi. बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट -5 साल
   vii. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान
   viii. म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
   ix. वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना

   B. एनपीएस मे अंशदान के लिए रु. 5,0000 तक की अतिरिक्त कटौती 80CCD (1B) के अन्तर्गत उपलब्ध है, साथ ही 80CCD (2) के अन्तर्गत एनपीएस में नियोक्ता का योगदान रु. 50000 तक या वेतन का 10% जो भी कम हो, दावा किया जा सकता है।

   C. भुगतान किए गए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की कटौती को 80 डी के अन्तर्गत लिया जा सकता है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए स्वयं और परिवार के लिए अधिकतम रु. 25000 और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 50000 का लाभ उठाया जा सकता है। यह सीमा निवारक (प्रिवेंटिव) स्वास्थ्य जांच के लिए रु. 5000 तक के खर्च को वहन करती है।

   D. आप मान्यता प्रप्त निधि, धर्मार्थ निधि में किए गए दान में कटौती का दावा 80जी के अन्तर्गत कर सकते हैं।

   E. बचत बैंक खाते से रु. 1,0000 तक की छूट 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की आय में कटौती की जा सकती है।

   F. वरिष्ठ नागरिक बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि से अर्जित ब्याज की अधिकतम राशि रु. 50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

कुल आय से कटौती और छूट निकालने से सकल कुल आय (Gross Total Income) की प्राप्ति होगी।

2. **सकल कुल आय और Chapter-VIA के अन्तर्गत कटौती का अंतर कर योग्य आय होगी।**
3. संबंधित स्लैब दरों के अनुसार अपनी कर देयता की गणना करें। अगर 26AS के अनुसार टीडीएस टैक्स देनदारी से अधिक है, तो आप रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह टीडीएस से कम है, तो शेष राशि राशि को स्व-मूल्यांकन कर के रूप में जमा किया जाना है।

एक बार जब उपरोक्त गणना पूरा हो जाता है, तो आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने खाते में लॉगिन कर सकते हैं और यथोचित आईटीआर -1 या आईटीआर -2 में अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

ITR फाइलिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण वेरीफिकेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है। 'मेरा खाता' पर जाएं, और *'ई-सत्यापन रिटर्न'* पर क्लिक करें और विकल्प का चयन करें, *'मैं अपने रिटर्न को सत्यापित करने के लिए आधार ओटीपी उत्पन्न करना चाहूंगा।'* अपने रिटर्न को सत्यापित करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें। आप नेट बैंकिंग या डीमैट खाते के माध्यम से अपने रिटर्न का ई-सत्यापन भी कर सकते हैं। आपको आयकर विभाग से पुष्टि की जाएगी कि आपका आईटीआर सत्यापित हो गया है। अपना आईटीआर और पावती (आईटीआर-V) डाउनलोड करें।

यदि आप रिटर्न का ई-सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो आईटीआर-V की एक हस्ताक्षरित प्रति सीपीसी, बैंगलोर को भेजें।

सीआईएल के कार्यकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (CIL Executive Defined Contributory Pension Scheme) के प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष आलेख

योजना की मुख्य बातें

1. यह योजना कोल इंडिया और अनुषंगी इकाइयों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को अन्यूटी प्रदान करने के लिए लिए एक पेंशन उत्पाद तैयार किया गया था जिसमे 1 जनवरी 2007 से प्रभावी वेतन संशोधन के अनुलाभ के एक अंश के रूप में देय वेतन का 9.84% हिस्सा नियोक्ता द्वारा देने की सहमति बनी थी।
2. इस योजना को वित्त वर्ष 2018-19 में लागू किया गया था और कोष (कॉर्पस) को अन्यूटी प्रदाताओं को हस्तांतरित किया गया, जो सदस्यों द्वारा चयनित योजना के अनुसार अन्यूटी का भुगतान करेंगे।
3. एक विकल्प के के रूप मे सदस्यों कोसंचित कोष राशि का 1/3 अंश देने का विकल्प था ।
4. चूंकि अंशदान का भुगतान किया गया था, इसलिए फॉर्म -10 ई और अनुलग्नक - I में संबंधित पूर्व वर्षों के दौरान कर योग्य आय और कर का विवरण प्राप्त करने के बाद सीआईएल द्वारा धारा 89 (1) के तहत राहत की गणना कर इस कोष से आयकर संग्रहित किया गया था।
5. वर्ष के दौरान नियोक्ता के योगदान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) (vii) के तहत जिस वर्ष में कॉर्पस को स्थानांतरित किया गया है उसमे एकमुश्त छूट उपलब्ध है ।

आईटीआर भरने के समय वांछित सावधानियाँ

कई सदस्यों ने राहत 89 (1) के अधीन दावा करने में कठिनाई का अनुभव किया क्योंकि उनके कर सलाहकार जिस ई-फाइलिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहे थे उसमे राहत का दावा करने की कोई सुविधा नहीं थी।

1. **फॉर्म -10 ई की प्रविष्टि :-** भले ही आपने CIL को फॉर्म -10E दिया हो, लेकिन आपको आईटीआर वेबसाइट पर उसी आंकड़े को फिर भरना होगा, जो बीईआरओआरई ग्रेड बीआरआरआई के समान है । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपको सेक्शन 89 (1) के अधीन राहत नहीं मिलेगी । सुनिश्चित करें कि राहत की राशि अनुलग्नक संख्या -1 में क्रमांक - 8 के तहत दर्शाई गई राशि से मेल खाती है।
2. **एनपीएस के साथ वेतन / पेंशन से आय को ना जोड़े।**
   सैलरी / पेंशन से आय धारा 17 (1) और नियोक्ता के योगदान के लिए धारा 17 (2) के तहत पेंशन फंड में दर्शाई जानी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो आपको Rs.150000 u / s 17 (2) (vii) की छूट नहीं मिलेगी, एवं निश्चित रूप से AO से नोटिस मिलेगा।

3. **पेंशन अंशदान की सकल राशि का खुलासा किया जाना है :-** कुछ सब्सिडियरीज ने अपने टीडीएस रिटर्न में 1,50,000 रु का नेट कंट्रीब्यूशन दिखाया है। परिणाम के रूप में नेट राशि आपके 26AS में दिखाई जाती है जिसके कारण फॉर्म -10 ई के साथ मिसमैच होता है।

4. **मान्यताप्राप्त पेंशन फंड में नियोक्ता के योगदान के मूल्य के रूप में रु. 150000 की कटौती का दावा धारा 17 (2) (vii) के अधीन लेवें।**

आयकर की दरें (वि. व. 2020-21 ; आ. व. 2021-22)

A. 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए

कर योग्य आय	नए नियमानुसार बिना छूट कर की दर	पुराने नियमानुसार छूट सहित कर की दर
250000 तक	0%	0%
250000 से 500000 रु	5%	5%
500000 से 750000 रु	10%	20%
750000 से 1000000 रु	15%	20%
1000000 से 1250000 रु	20%	30%
1250000 से 1500000 रु	25%	30%
1500000 से ऊपर	30%	30%

B. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, लेकिन 80 वर्ष से कम

कर योग्य आय	नए नियमानुसार बिना छूट कर की दर	पुराने नियमानुसार छूट सहित कर की दर
300000 तक	0%	0%
300000 से 500000 रु	5%	5%
500000 से 750000 रु	10%	20%
750000 से 1000000 रु	15%	20%
1000000 से 1250000 रु	20%	30%
1250000 से 1500000 रु	25%	30%
1500000 से ऊपर	30%	30%

C. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए

कर योग्य आय	नए नियमानुसार बिना छूट कर की दर	पुराने नियमानुसार छूट सहित कर की दर
500000 तक	0%	0%
500000 से 750000 रु	10%	20%
750000 से 1000000 रु	15%	20%
1000000 से 1250000 रु	20%	30%
1250000 से 1500000 रु	25%	30%
1500000 से ऊपर	30%	30%

1. Rs.12500 तक की छूट धारा 87 (ए) के अधीन उनके लिए उपलब्ध है, जिनकी आय रु. 5,00,000 से अधिक नहीं है ।
2. कर का 4% सेस देय है।
3. एक व्यक्ति किसी भी एक नियम के तहत मूल्यांकन करने का विकल्प चुन सकता है और विभिन्न वर्षों में विकल्पों को भी बदल सकता है।
4. यह देखा गया है कि कर बचत योजनाओं में मध्यम से उच्च निवेश वाले व्यक्तियों को लाभ होगा यदि उन्हें पुराने शासन के तहत मूल्यांकन किया जाता है। यह अलग-अलग और हर साल अलग-अलग हो सकता है। व्यक्तिगत गणना के बाद ही चुनाव किया जाना चाहिए।

	नए नियमानुसार	पुराने नियमानुसार
सकल वेतन 17 (1) धारा के अधीन	800000	800000
भत्तों का मूल्य (NPS) 17 (2) धारा के अधीन		
मानक कटौती	0	50000
छूट 17 (2) (vii) धारा के अधीन (एनपीएस में नियोक्ता का योगदान)		
धारा 10 और 17 के अधीन छूट के बाद सकल वेतन	800000	750000
मुखिया के वेतन के तहत आय प्रभार्य	800000	750000
अन्य आय		
जमा से ब्याज	60000	60000
एचपी से आय / हानि		
सकल कुल आय	**860000**	**810000**
अध्याय VI-A के तहत कटौती		
पीएफ / पीपीएफ / एनएससी .. 80 सी धारा के अधीन	0	150000
मेडिकल इंश्योरेंस- 80 डी धारा के अधीन	0	40000
ब्याज 80TTA	0	0
ब्याज 80TTB	0	50000
शुद्ध कर योग्य आय	**860000**	**570000**
आय पर कर	54000	24000
छूट 87 ए धारा के अधीन		
नेट टैक्स	54000	24000
शिक्षा उपकर @ 4%	2160	960
राहत 89 (1) धारा के अधीन		
कर दायित्व	**56160**	**24960**

अस्वीकरण: यह केवल एआईएसीइ के सदस्यों की सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया एक सरलीकृत गाइड है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे आयकर अधिनियम के नवीनतम संशोधनों की जांच करें। न तो ए आइएसीइ और न ही लेखक अपने ITR दाखिल करते समय किसी भी सदस्य द्वारा की गई गलतियों के लिए कोई जिम्मेदारी लेता है।